आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL
वस्तु एवं सेवा कर भवन, 115, महर्षि कर्वे मार्ग,
GST BHAVAN, 115, MAHARSHI KARVE ROAD,
चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुम्बई 400020
OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI 400 020

सत्यमेव जयते

राष्ट्र कर बाज़ार

फा.सं.II/39-हिन्दी(18)/2021 /74
दिनांक -22.04.2025

सेवा में ,
उप आयुक्त (राजभाषा)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
मुंबई जोन

महोदय/महोदया ,

विषय : "ख"क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में त्रिभाषा के प्रयोग की अनुपालन रिपोर्ट ।

कृपया आपके कार्यालय के दिनांक 08.04.2025 के पत्र फा.सं;-GCCO/10/2025/LEGAL का जिसमे मद संख्या 3.2 में राजभाषा नियम 11के तहत की गई अनुपालनात्मक कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

हमारे कार्यालय में अभी जनता की सूचना के प्रयोग में आने वाले सभी नामपपट्ट ,सूचना बोर्ड इत्यादि द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में थें,जिन्हे आपके इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात त्रिभाषा में अर्थात मराठी भाषा हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा में क्रमवार तथा एकसमान आकार में मुद्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरंभ हो चुकी है ,जिससे की भविष्य में राजभाषा नियम 11 का अनुपालन हो सके तथा जनता के प्रयोग में आने वाले सभी नामपट्ट एवं सूचना सूचनापट्ट त्रिभाषा में अर्थात मराठी ,हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में एक आकार में मुद्रित किए जा सकें ।

यह पत्र अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई मध्य के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है।

सादर धन्यवाद

भवदीय
संजय प्रजापति 24.4.2025
संजय प्रजापति
सहायक आयुक्त (राजभाषा)

O/C

प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय/जीएसटी एवं के.उ. शुल्क
Office of the Principal Chief Commissioner/GST & C.Ex.
24 APR 2025
Mumbai Zone
मुंबई क्षेत्र

क्रम संख्या	अधीनस्थ कार्यालय का नाम एवं पता	त्रिभाषा नियम का अनुपालन हो रहा है (हाँ / नहीं)	यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारण (संक्षिप्त में)
1	आयुक्त का कार्यालय ,केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,मुंबई मध्य OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST &CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL वस्तु एवं सेवा कर भवन,115, महर्षि कर्वे मार्ग, GST BHAWAN,115,MAHARISHI KARVE ROAD, चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुंबई 400020 OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI-400020	नहीं	कार्यालय के सभी ऐसे बोर्ड व नामपट्ठ जो जनता की सूचना के लिए लगाए गए हैं वे सभी राजभाषा नियम 1976 के तहत केवल द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में बनवाए गए थे। **राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित ,1987 ,2007,तथा 2011)** नियम 11(3)-केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ठ सूचनापट्,पत्रशीर्ष और लिफ़ाफ़ों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री के अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी ,मुद्रित यस उत्कीर्ण होंगी; परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह,साधारण या विशेष आदेश द्वारा ,केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधो से छूट दे सकती है । *प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त पत्र (फ़ा.सं:GCCO/10/2025/LEGAL) तथा सहायक आयुक्त (राजभाषा) से प्राप्त पत्र की प्रति के बाद हमारा कार्यालय उक्त सूचना बोर्ड ,नामपट्ट आदि को त्रिभाषा में क्रमवार तरीके से और एक समान आकार में मुद्रित करने की दिशा में कार्यरत हैं ।

अधिकारी का नाम : S.J.Prajapati 24.4.2025

पदनाम : एस. जे. प्रजापति S. J. Prajapati सहायक आयुक्त Assistant Commissioner

मोहर सहित हस्ताक्षर :

त्रिभाषा नियम : जनता की सूचना के प्रयोग में आने वाले सभी नामपट्ट, सूचना बोर्ड इत्यादि क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी भाषा एवं अँग्रेजी भाषा के क्रम में एवं समान आकार में मुद्रित कराये जाएँ ।

फा सख्या ए 32012/12/2023 - ए डां 3 क
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 02.04.2025

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त / महा निदेशक
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन

महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
नई दिल्ली

विषय : "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में त्रिभाषा के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

कृपया निदेशक राजभाषा, राजस्व विभाग, नई दिल्ली का पत्र फा संख्या ई 30020·/ 1 / 2018 - हिन्दी - 4 - डीओआर (पार्ट 1) दिनांक 26.03.2025 का संलग्नक सहित संदर्भ प्राप्त करने का कष्ट करें ।

02. इस संदर्भ में सादर निवेदन है कि राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों , नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अँग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे । इन दिशानिर्देशों का राजभाषा नियम 11 के तहत अनिवार्यतः अनुपालन किया जाना चाहिए । उक्त क्रम में नियम 11 की परिभाषा तुरंत संदर्भ हेतु संलग्न है ।

03. इसी क्रम में, राजस्व विभाग को उक्त के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित की जानी है, अतः निवेदन है कि कृपया उक्त के संदर्भ में वर्तमान स्थिति एवं उक्त के संबंध में की गयी अनुपालनात्मक कार्रवाई निर्धारित संलग्न प्रारूप में कृपया तत्काल इस कार्यालय को usad3a-rev@gov.in अथवा soad3a-rev@gov.in पर तत्काल (अधिकतम दिनांक 15.04.2025 तक) प्रेषित करने का अनुरोध है ।

04. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली से भी अनुरोध है कि वे इस संदर्भ में समीक्षा करें एवं उससे संबन्धित रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी से साझा करें ।

भवदीय,

Digitally signed by
Ravish Kumar
Date: 02-04-2025
16:42:32

(रविश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

159 DS Ad.III A
28/3/25

Ad.III A Section
Diary No. 199 /Ad.IIIA/20......
Dated 01/04/25

फा.सं. ई. 30020/1/2018-हिंदी 4-डीओआर (पार्ट 1)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(राजभाषा अनुभाग-1)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 26 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में त्रिभाषा के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

राजभाषा विभाग की ओर से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों ('ख' और 'ग' क्षेत्रों) में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। इस मामले को माननीय संसद सदस्य द्वारा संसद में भी उठाया गया है (देखें संलग्न पत्र दिनांक 05.09.2022)।

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग से उपर्युक्त विषय पर पूर्व में भी पत्र प्राप्त हुए हैं (देखें संलग्न राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का नवीनतम अ.शा.पत्र दिनांक 07.03.2025)। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों का राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के तहत अनिवार्यतः अनुपालन किया जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि अपने 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में स्थित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से उक्त विषय के संबंध में नियम (11) के अनुपालन की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र राजस्व विभाग के राजभाषा प्रभाग को भेजें ताकि इसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग को भेजा जा सके।

26/03/25
(शिशिर शर्मा)
प्रभारी निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 23092499

- सारे जोन एवं निदेशालयों को एवं डी.जी.पी.एम को भेजें। और जानकारी तुरंत मंगवायें।
26/3/25

O/o JS (Admn) CBIC
Dairy No. 4287135
Date 27/03/25

संलग्नकः यथोपरि

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. **राजस्व विभाग के 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित नियंत्रणाधीन कार्यालय।**
2. **संयुक्त सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निजी सचिव।**
3. **संयुक्त सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निजी सचिव।**

26/3/25

उ.स. (प्रशा 3क)
28.3.25

अ.स. (प्रशा. 3क)

28/3/2025

28/03/2025
स. निदेशक

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAG
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-11000

As (R) – In Mix

अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 14013/01/2024-राजभाषा(नीति) दिनांक 07.03.2025

10 MAR 2025

महोदय / महोदया,

मैं आपका ध्यान दिनांक 21.10.2024 के अपने समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। साथ ही, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-04-2022-रा.भा.(नीति) एवं तत्पश्चात मेरे स्तर से दिनांक 05.09.2022, 01.12.2022, 26.05.2023, 04.12.2023 व 03.06.2024 को भेजे गए अर्ध-शासकीय पत्रों (प्रतिलिपियाँ संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन एवं अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों से हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषाओं के प्रयोग से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आपके मंत्रालय की समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। समेकित अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने के कारण एक महत्त्वपूर्ण आश्वासन लंबित है। समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही राज्यसभा सचिवालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकेगा।

4. विषयवस्तु की गंभीरता एवं तात्कालिकता को ध्यान मे रखते हुए मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि इस संबंध में कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2025 तक राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सादर,

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव
(प्रशासन/स्थापना/राजभाषा प्रभारी - संलग्न सूची के अनुसार)